साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

कार्यपरिषद् की आठवीं बैठक

दिनांक 28.07.2017 का

कार्यवाही विवरण

साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की आठवीं बैठक दिनांक 28.07.2017 को सभागृह, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नानुसार सदस्य उपस्थित थे–

1. प्रो. (डॉ.) यज्ञेश्वर एस. शास्त्री, कुलपति/अध्यक्ष (कार्यपरिषद्)
2. प्रो. (डॉ.) एस. आर. भट्ट, नई दिल्ली (साधारण परिषद् द्वारा नामित सदस्य)
3. श्री रूपेश पड़वार, अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग (पदेन सदस्य)
4. श्री राजेश गुप्ता, कुलसचिव/सदस्य सचिव (कार्यपरिषद्)

बैठक के प्रारंभ में कार्यपरिषद् के अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. (डॉ.) यज्ञेश्वर एस. शास्त्री ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया।

साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् संचालन नियम, 2014 के अनुसार कुल सदस्यों (वर्तमान में आठ) के विरूद्ध पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित होने से कोरम पूर्ण है।

बैठक में एजेंडा पर बिंदुवार चर्चा उपरांत निम्न निर्णय लिये गये–

एजेण्डा क्र.1 : कार्यपरिषद् की सातवीं बैठक दिनांक 03 फरवरी 2017 के कार्यवाही विवरण

कार्यपरिषद् द्वारा सातवीं बैठक दिनांक 03.02.2017 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन उपरांत अनुमोदन किया गया।

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

एजेण्डा क्र. 2 : कार्यपरिषद् की सातवीं बैठक दिनांक 03 फरवरी 2017 में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।

कार्यपरिषद् को सातवीं बैठक में लिये गये निर्णयों के पालन की स्थिति से कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया।

कार्यपरिषद् द्वारा पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयों एवं पालन की समीक्षा उपरांत निम्नानुसार निर्देश दिये गये–

1. विश्वविद्यालय को अंतराष्ट्रीय संस्थान के रूप में विकसित करने हेतु 15 दिवस में विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिये गये।

2. सॉबौभाज्ञाअविवि में अन्य देशों के अध्ययन पीठ स्थापना हेतु नीति का प्रारूप 15 दिवस में तैयार किया जावे।

3. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सम्मेलन, कार्यशाला, व्याख्यान में प्रस्तुत शोध पत्र, व्याख्यान उच्च गुणवत्ता युक्त हों यह सुनिश्चित किया जावे। विश्वविद्यालय की प्रत्येक अकादमिक गतिविधि में गुणवत्ता सुनिश्चत की जावे।

4. तंत्र शास्त्र विभाग की स्थापना की रूपरेखा तैयार करने हेतु सर्वप्रथम एक समिति का गठन किया जाकर, अध्ययन सामग्री तैयार की जावे।

5. उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात तंत्र शास्त्र विषय से संबंधित शिक्षकों की संविदा आधार पर नियुक्ति की कार्यवाही की जावे। बनारस हिंदु विश्वविद्यालय में इस विषय से संबंधित विशेषज्ञ उपलब्ध है अतः उनका सहयोग लिया जावे।

6. विश्वविद्यालय में प्रतिसप्ताह इन हाउस सेमिनार का आयोजन रोटेशन के आधार पर करना अनिवार्य किया जावे। आईसीपीआर द्वारा व्याख्यानों के आयोजन हेतु रू 10 हजार प्रति व्याख्यान का अनुदान दिया जाता है। अतः उक्त अनुदान प्राप्त करने प्रस्ताव भेजा जावे।

7. विशिष्ट व्याख्यानों का आयोजन वर्ष में कम से कम एक बार भोपाल में भी किया जावे।

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
सांची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

एजेण्डा क्र. 3 **कार्यपरिषद् की पूर्व बैठक पश्चात् विश्वविद्यालय की गतिविधियों से कार्यपरिषद् को अवगत कराया जाना।**

कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की अकादमिक गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा उपरांत निर्देशित किया गया कि

1. कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के अकादमिक गतिविधियों की समीक्षा की गयी। समीक्षा उपरांत अकादमिक गतिविधियों निष्पादन में कमी के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। निर्देशित किया गया कि कुलपति अकादमिक निष्पादन में अभिवृद्वि हेतु विशेष प्रयास करें।

2. विश्वविद्यालय में स्वीकृत सीटों पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या न्यून है। विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय विद्यार्थियों का रूचि/प्रवेश अत्यंत कम है एवं स्थानीय विद्यार्थी ही प्रवेश में रूचि ले रहे है।

3. विश्वविद्यालय के अध्यापकों के क्षमता विकास विशेष प्रयासों की आवश्यकता है । इसके लिए उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से अध्यापकों हेतु रिफ्रेशर कोर्स कराये जावें। अध्यापकों की क्षमता विकास हेतु आईसीपीआर को प्रस्ताव भेजे जाने की कार्यवाही लंबित है अतः सात दिवस में प्रस्ताव भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे।

4. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रतिवेदन का लेखन कार्य लंबित है। निर्देशित किया गया कि इस कार्य को तत्काल पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे। प्रत्येक सम्मेलन, कार्यशाला आदि के आयोजन पश्चात 15 दिवस में प्रतिवेदन का लेखन कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

5. विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला ***ग्रंथ संधानम्*** कार्यशाला से अवगत कराया गया। कार्यपरिषद् द्वारा Manuscriptology & Paleography विषय के विशेषज्ञ को विश्वविद्यालय में आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया ।

6. आईसीपीआर, इस वर्ष चीन से प्राध्यापकों को आमंत्रित कर रहा है। उनके व्याख्यानों का आयोजन सॉबौभाज्ञाअविवि में करने हेतु आईसीपीआर को प्रस्ताव भेजा जावे।

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

7. आईसीपीआर द्वारा फिलॉसफी डे के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। विश्वविद्यालय में इस आयोजन हेतु आईसीपीआर को प्रस्ताव भेजा जावे।

8. मप्र/छग दर्शन परिषद् सम्मेलन का आयोजन सॉबौभाज्ञाअविवि करने का सुझाव दिया गया । इस आयोजन हेतु आईसीपीआर से रू 50,000 तक की अनुदान सहायता प्राप्त हो सकती है, अतः प्रस्ताव भेजा जावे।

9. हिन्दी भाषा संस्थान आगरा उप्र द्वारा अकादमिक कार्य/हिन्दी अनुवाद हेतु सहायता प्रदान की जाती है। उक्त संस्थान से संपर्क किया जाकर सहयोग प्राप्त किया जावे।

एजेण्डा क्र. 4 : मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित दर के समान विश्वविद्यालय में महँगाई भत्ता की दर 136 प्रतिशत करने की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

कार्यपरिषद द्वारा चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि –

सॉंची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों को मप्र शासन के कर्मचारियों के समान माह जनवरी, 2017 से 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत की संशोधित दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने के निर्णय को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विश्वविद्यालय के संविदा कर्मचारियों के संविदा मानदेय की गणना उक्त तिथि से मंहगाई भत्ता 136 प्रतिशत से की जाकर संविदा मानदेय प्रदान किया जावे।

एजेण्डा क्र. 5 : विश्वविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु गठित चयन समितियों की अनुशंसा पर विचार।

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु विषयवार चयन समितियों का गठन किया था। विश्वविद्याालय में कुल 46 शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन आमंत्रित कर योग्य उम्मीदवारों को चयन समितियों के समक्ष निर्धारित चयन प्रक्रिया अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया। चयन समितियों द्वारा उपस्थित उम्मीदवारों

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
सॉंची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

के संबंध में अपनी अनुशंसा सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गयी है। शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु गठित समिति(यों) की अनुशंसा संबंधी सील बंद लिफाफे कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

01. **ग्रंथपाल पद हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा** – उक्त गठित चयन समिति की अनुशंसा का बंद लिफाफा खोला गया। समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि समिति के समक्ष कोई उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं हुआ। अतः अनुशंसा निरंक है।

02. **वैकल्पिक शिक्षा विभाग में शैक्षणिक पदों पर चयन हेतु गठित समिति की अनुशंसा** – उक्त गठित चयन समिति की अनुशंसा का बंद लिफाफा खोला गया। समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि समिति के समक्ष उपस्थित कुल एक उम्मीदवार विश्वविद्यालय में नियुक्ति के योग्य नहीं पाया गया।

कार्यपरिषद् द्वारा चयन समिति की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान की गयी।

03. **योग विभाग में शैक्षणिक पदों पर चयन हेतु गठित समिति की अनुशंसा** –

उक्त गठित चयन समिति की अनुशंसा का बंद लिफाफा खोला गया। समिति द्वारा सहायक प्राध्यापक(जूनियर ग्रेड)–योग(अनारक्षित) के पद जिसका वेतनमान रू 15,600–39,100 एजीपी 6,000 है पर डॉ. शाम गनपत तिखे के चयन की अनुशंसा की है। श्री अजय दुबे की इस पद हेतु प्रतीक्षित उम्मीदवार रूप में अनुशंसा की है।

कार्यपरिषद् द्वारा चयन समिति की अनुशंसा स्वीकृत कर डॉ. शाम गनपत तिखे को विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक(जूनियर ग्रेड)–योग(अनारक्षित) के पद वेतनमान रू 15,600–39,100 एजीपी 6,000 पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी नियुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उम्मीदवार द्वारा इस पद पर

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
सांची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में प्रतीक्षित उम्मीदवार को नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया ।

विश्वविद्यालय में परीवीक्षा आधार पर नियुक्ति प्राप्त शैक्षणिक पदधारी को अन्य कार्यो के साथ–साथ एक शोध परियोजना आबंटित की जावे। उक्त शोध परियोजना परिवीक्षा अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर, शोध कार्य का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जावे। शोधकार्य की गुणवत्ता /मूल्यांकन विश्वविद्यालय मे पदनियुक्त के स्थायीकरण का अनिवार्य आधार होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने उपरांत स्थायी करण का प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

कार्यपरिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि किसी पद पर चयन हेतु विचार हेतु केवल एक उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु योग्य पाया जावे तो एकल उम्मीदवार हेतु साक्षात्कार आयोजन न किया जावे। नियुक्ति प्रक्रिया दो बार एकल उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु पात्र पाये जाने की दशा में तत्पश्चात एकल उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जावे।

कार्यपरिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि रिक्त शैक्षणिक पदों पर आवश्यकतानुसार भर्ती की कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा क्र. 6 : **विश्वविद्यालय में नियुक्त गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती हेतु की गई कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।**

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक गतिविधियों के सुचारू संचालन तथा शैक्षणिक गतिविधियों हेतु कार्यपरिषद् द्वारा सृजित/राज्य शासन द्वारा स्वीकृत कुल 249 पद गैर–शैक्षणिक पदों मे के विरूद सीधी भर्ती के पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु कार्यपरिषद् की स्वीकृति उपरान्त विज्ञापन जारी किया गया।

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति

विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित नियमों के सभी प्रावधानों का पालन करते भर्ती बोर्ड द्वारा योग्य उम्मीदवारों के चयन की अनुशंसा प्रस्तुत की गयी।

शासन के निर्देशों का पालन करते हुए कुलपति के अनुमोदन उपरांत अनुशंसित उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति पत्र/संविदा अनुबंध संपादित करने पत्र जारी किये गये–

क्र.	पद का नाम	वेतनमान	चयनित/प्रतीक्षित अभ्यर्थी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	परीक्षा नियंत्रक	15600-39100 +AGP 7600	1. श्री हरीश कुमार चंद्रवंशी **प्रतीक्षित** 1. श्री प्रणव गुरु 2. श्री संदीप गंगराडे
2.	सहायक यंत्री – संपदा एवं परिसर	15600-39100 +AGP 5400	1. श्री प्रतीक तिवारी **प्रतीक्षित** 1. श्री अनूप गुप्ता 2. श्री राहुल असाटी
3.	सहायक चिकित्सक आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा	15600-39100 +AGP 5400	1. सुश्री अंजली दुबे **प्रतीक्षित** 1. श्री प्रमोद चंद्र द्विवेदी 2. श्री नभ किशोर चौधरी
4.	निज सचिव कुलपति	9300 - 34800 + AGP 3200	1. श्री सुनील कुमार जैन
5.	कार्यालय सहायक ग्रेड–2	5200 - 20200 + AGP 2400	1. श्री अभिषेक बिल्लौरे 2. श्री अशोक कुमार जाटव 3. श्री निखिलेश सोनी
6.	संग्रह सहायक	5200 - 20200 + AGP 2800	1. श्री संजीव साहू
7.	लेखापाल ग्रेड–2	5200 - 20200 + AGP 2400	1. श्री संदीप कुमार द्विवेदी **प्रतीक्षित** 1. श्री संदीप राय 2. श्री गगन सोनी
8.	नर्स पुरुष	5200 - 20200 + AGP 2400	1. श्री कमलेश पाटीदार **प्रतीक्षित** 1. श्री अजीत कुमार पिल्लई 2. श्री महेन्द्र विश्वकर्मा
9.	खेल व्यवस्थापक	5200 - 20200 + AGP 2800	1. सुश्री नीतू सिंह
10.	टेलीफोन ऑपरेटर	5200 - 20200 + AGP 1900	1. श्री मनीष प्रधान
11.	भृत्य (संविदा आधारित)	4400 - 7440 + AGP 1300	1. श्री संदीप मेहरा 2. श्री राजेन्द्र सिंह रघुवंशी 3. श्री आयुष सिन्हा 4. श्री धरत सिंह राजपूत 5. श्री राजमल न 6. सुश्री सुचिता सोनवानी 7. श्री तरुण मुडिया 8. सुश्री प्रमिला धाकड़ 9. श्री संतोष प्रजापति 10. श्री राजेश कहार

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

क्र.	पद का नाम	वेतनमान	चयनित / प्रतीक्षित अभ्यर्थी का नाम
			11. श्री मनोज कुमार बिरविया **प्रतीक्षित** 1. श्री लोकेश सिंह राजपूत 2. श्री मुकेश सिंह जदौन 3. श्री पुष्पेन्द्र मिश्रा 4. श्री महेन्द्र सिंह राजपूत 5. श्री राम बालक साकेत 6. श्री हरेन्द्र राणा 7. श्री अजय पखाले 8. श्री अजय कुमार 9. श्री मनीष कुमार जंघेला 10. श्री महेन्द्र सिंह यादव 11. श्री राजेश कुमार नामदेव 12. श्री मुंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी
12.	चौकीदार (संविदा आधारित)	4400 - 7440 + AGP 1300	1. श्री राहुल सिंह बघेल 2. श्री राजेन्द्र कुमार रजक **प्रतीक्षित** 1. श्री राजेन्द्र कुमार रजक 1. श्री जीवेन्द्र साकेत 2. श्री अविनाश सोनकर
13.	स्वीपर कम फार्राश (संविदा आधारित)	4400 - 7440 + AGP 1300	1. श्री संदीप बबन गोत्रा 2. श्री चंद्र शेखर **प्रतीक्षित** 1. श्री शैलेन्द्र कुमार बग्गन

भर्ती बोर्ड द्वारा उक्त समस्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयनित उम्मीदवारों (कॉलम– 4) के साथ–साथ प्रत्येक पद हेतु प्रतीक्षित उम्मीदवारों के नाम की अनुशंसा की गयी है।

<u>कार्यपरिषद् द्वारा विचारोपरांत –</u>

1. भर्ती बोर्ड की अनुशंसा अनुरूप में चयनित उम्मीदवारों (कॉलम–4) को नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही एवं सूची उक्त सूची में सम्मिलित चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा नियुक्ति की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया ।
2. अनुशंसित उम्मीदवार द्वारा पदभार ग्रहण न करने, पदत्याग करने अथवा त्यागपत्र प्रस्तुत करने की दशा में सूची में प्रतीक्षित उम्मीदवार को क्रमानुसार नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।
3. श्री अशोक कुमार जाटव को भर्ती बोर्ड की अनुशंसा उपरांत विश्वविद्यालय में सहायक ग्रेड–3 के पद पर दिनांक 01.11.16 को

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
सांची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

नियुक्ति प्रदान की गई। श्री अशोक जाटव को चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय में सहायक ग्रेड–3 के पद पर नियुक्ति हेतु पत्र जारी किया गया। एवं उनके द्वारा दिनांक 04.11.16 उपस्थिति प्रस्तुत की गई है। मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय के पत्र क्र. विशा/21/व्हर/2015–17 (एफ–570–ए/16) दिनांक 06.06.17 द्वारा श्री अशोक कुमार जाटव को शासकीय सेवा के योग्य पाया गया है।

कार्यपरिषद् द्वारा विचारोपरांत श्री अशोक कुमार जाटव को विश्वविद्यालय में सहायक ग्रेड–3 के पद पर दो वर्षो की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई नियुक्ति की कार्यवाही की अनुशंसा की गयी।इ।

एजेण्डा क्र. 7 : विश्वविद्यालय में कार्यरत् संविदा अधिकारी डॉ. शुक्ला मुखर्जी, ग्रंथपाल की संविदा अवधि प्रकरण पर विचार।

कार्यपरिषद् की अनुशंसा के आधार पर डॉ. शुक्ला मुखर्जी सेवानिवृत्त परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को विश्वविद्यालय में ग्रंथपाल के पद पर दो वर्ष हेतु संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी, जिसके आधार पर डॉ. शुक्ला मुखर्जी द्वारा दिनांक 18/01/15 को विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया गया था। डॉ. शुक्ला मुखर्जी द्वारा तत्पश्चात् निरन्तर सेवा की गई है। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03 फरवरी 2017 के निर्णयानुसार डॉ. शुक्ला मुखर्जी की संविदा अवधि में दिनांक 18/01/2017 से छः माह अर्थात् दिनांक 17/07/2017 तक का विस्तार किया गया था। डॉ. मुखर्जी, ग्रंथपाल की विस्तारित संविदा अवधि पूर्ण हो चुकी है।

कार्यपरिषद् द्वारा डॉ. शुक्ला मुखर्जी, ग्रंथपाल को छः माह अथवा नियमित ग्रंथपाल के पदभार ग्रहण करने अथवा वे सेवानिवृति के समय जिस विभाग/संस्थान में में कार्यरत थीं, उस विभाग/संस्थान में निर्धारित सेवानिवृति की आयु से पॉच वर्ष अवधि पूर्ण करने तक (इनमें से जो भी पहले हो) संविदा नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
सांची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

एजेण्डा क्र. 8: **विश्वविद्यालय के नियमित अधिकारी/कर्मचारियों संबंधी प्रकरणों पर विचार।**

1. **श्री संजय रघुवंशी, कार्यालय सहायक ग्रेड–1 की जिला न्यायालय में की गई पूर्व सेवा की अवधि एवं अर्जित अवकाश वर्तमान लेखा में जोड़ने पर विचार।**

श्री संजय सिंह रघुवंशी, कार्यालय सहायक ग्रे–1 विश्वविद्यालय में नियुक्ति से पूर्व मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत जिला न्यायालय में सहायक ग्रेड–3 के पद पर दिनांक 28 अगस्त 2009 से 14 सितम्बर, 2015 तक कुल 06 वर्ष 17 दिवस कार्यरत् रहे। श्री संजय सिंह रघुवंशी द्वारा उनकी मध्यप्रदेश शासन के अधीन की गई पूर्व सेवा तथा अवधि तथा अर्जित अवकाश साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में की जा रही वर्तमान सेवा अवधि में जोड़े जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

कार्यपरिषद् द्वारा श्री संजय सिंह रघुवंशी सहायक ग्रेड– 1 की जिला न्यायालय में सहायक ग्रेड–3 के रूप में की गयी पूर्व सेवा की अवधि छः वर्ष सत्रह दिवस को वर्तमान सेवा अवधि में जोड़ने की अनुमति दी गयी। कार्यपरिषद् द्वारा पूर्व सेवा अवधि के अवकाश को वर्तमान अवकाश में लेखा में सम्मिलित कर जोड़े जाने की अनुमति दी गयी ।

2. **श्री अमित घारिया, कार्यालय सहायक ग्रेड–3 (परीवीक्षा) को सेवा मुक्त करने बावत्।**

श्री अमित घारिया को विश्वविद्यालय में नियुक्ति आदेश क्र. 3906 दिनांक 02.11.2015 द्वारा कार्यालय सहायक ग्रेड–3 के पद पर दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि हेतु अस्थाई नियुक्ति की गई थी। श्री अमित घारिया द्वारा दिनांक 14.06.2016 निरन्तर अनुपस्थित हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा श्री अमित घारिया को अनाधिकृत उपस्थिति के संबंध में समय–समय पर कुल छः पत्र, स्पष्टीकरण, कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये।

श्री अमित घारिया को जारी कुल छः स्पष्टीकरण तथा कारण बताओ नोटिस का उनके द्वारा कोई प्रति उत्तर नहीं दिया गया न ही वे विश्वविद्यालय में उपस्थित हुए ।

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की ओर से श्री घारिया को जारी अंतिम नोटिस क्र. 1642 दिनांक 13.06.2017 विशेष वाहक के हस्ते उनके स्थायी पते पर भेजा गया। विशेष वाहक द्वारा विश्वविद्यालय से भेजा गया नोटिस श्री घारिया के मकान के दरवाजे पर चस्पा किया गया।

श्री अमित घारिया, कार्यालय सहायक ग्रेड–3 परीवीक्षा द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थिति से संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी छः नोटिस एवं उक्त अंतिम नोटिस दिनांक 13.06.17 के पश्चात् भी विश्वविद्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई न ही कोई पत्राचार किया गया।

कार्यपरिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि श्री अमित घारिया के कृत्य से स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय क़ी सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं। अतः उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर की जावे।

एजेण्डा क्र. 09: विश्वविद्यालय के नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी नियम, निर्देश तथा प्रक्रिया अंगीकृत कर गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने पर विचार।

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों पर नियमित अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है। उक्त नियमित अधिकारी–कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है, कि वह अपने मुख्यालय पर निवास करे। विश्वविद्यालय के वर्तमान परिसर में पर्याप्त संख्या में पारिवारिक आवास गृह उपलब्ध नहीं हैं अतः समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को उपयुक्त श्रेणी की आवास सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

अतः विश्वविद्यालय के ऐसे नियमित एवं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी जिन्हें विश्वविद्यालय की ओर से आवास सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है, को गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने का प्रस्ताव कार्यपरिषद् क समक्ष प्रस्तुत किया गया।

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
सांची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

कार्यपरिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया, कि

1. विश्वविद्यालय के समस्त नियमित एवं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारी जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आवास उपलब्ध नहीं कराया गया को गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जावे।

2. गृह भाड़ा भत्ता के दर, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया एवं नियम तथा निर्देश हेतु मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों कर्मचारियों हेतु लागू दर, नियम, प्रक्रिया एवं निर्देश विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने का निर्णय लिया।

3. विश्वविद्यालय का वर्तमान परिसर तथा आवंटित भूमि ग्रामीण क्षेत्र में है एवं उक्त ग्राम में किराये पर आवास ग्रह उपलब्ध नहीं है अतः अधिकारी कर्मचारियों को नजदीकी नगरीय संकुल में आवास करना पड़ता है। अतः निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों –कर्मचारियों को नजदीकी नगरीय संकुल जहॉ आवास उपलब्ध हैं हेत लागू दर से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत कर प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

4. यदि भविष्य में मध्यप्रदेश शासन द्वारा गृह भाड़ा भत्ता संबंधी नियम/निर्देश/प्रक्रिया/दरों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह यथा स्थिति विश्वविद्यालय में भी लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

कुलपति
सांची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

एजेण्डा क्र. 10 : विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक पदों प्राध्यापक, एसोसिएट प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक पर आमंत्रण/प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार।

विश्वविद्यालय में स्वीकृत परंतु रिक्त शैक्षणिक पदो पर प्रतिनियुक्ति /आमंत्रण के आधार पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति संबंधी निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

क्र.	विवरण	किस पद पर प्रतिनियुक्त /आमंत्रण किया जा ना प्रस्तावित है।	टीप
01	श्री अमितोष सिंह, सहायक प्राध्यापक, सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्थान, विदिशा।	15600–39100 ग्रेड–पे 8000 सहायक प्राध्यापक प्रवर श्रेणी) अंग्रेजी	वर्तमाननियेाजक सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्थान की सहमति प्राप्त हो चुकी है। प्रकरण मप्र शासन तकनीकी शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग द्वारा अग्रेषित किया गया है।
02	Prof. Godavarish Mishra, Retd. Chennai	Indian Philosophy	
03	Dion Oliver Peoples, Thailand	Buddhist Studies	
04	Prof. O.P. Budholia, Retd., Madhya Pradesh	English	
05	Prof. Sridhar, Bangalore	Yoga	
06	Dr. Debidatta Aurobinda Mohapatra, USA	Strategic Studies	

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
सांची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

एजेण्डा क्र. 11: वर्तमान नियमों में संशोधन के संबंध में विचार।

11.1 वित्तीय परिनियम 2014 की कंडिका में संशोधन

विश्वविद्यालय में कार्यालयीन कार्यों हेतु ऑफिस स्टेशनरी, विभिन्न आयोजनों हेतु आमंत्रण पत्र किट सामग्री विश्वविद्यालय के प्रकाशन आदि का मुद्रण कराये जाने की आवश्यकता होती है। विश्वविद्यालय द्वारा इन हाउस ग्राफिक डिजायनर की नियुक्ति कर ली है, जिसके माध्यम से नवीन तथा नवाचारी डिजाइन तैयार कर मुद्रण कराया जाता है।

विश्वविद्यालय के वित्तीय नियमों में नियमानुसार केवल आकस्मिक परिस्थितियों में स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रण कार्य कराये जाने की स्वीकृति देने संबंधी निम्नानुसार प्रावधान है :–

10. Section VII: Hiring & Leasing

Sr. No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation
1	3	4	5
10.1	Get printing work done through local private press in urgent and emergent cases.	(i) VC	Full Powers
		(ii) Registrar	Rs. 50.00 lakh in a year and Rs. 5.00 lakh in each case
		(iii) Head of Academic Department/ Head of Office	Rs. 1.00 lakh in a year
10.4	Get binding work done through local press/book binders in emergency.	(i) Registrar	Full powers
		(ii) Head of Academic Department/ Head of Office	up to Rs. 5000 in a year

उक्त तालिका की कंडिका 10.1, 10.3 तथा 10.4 में निम्नानुसार संशोधन कर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को सामान्य परिस्थितियों में शासकीय प्रिंटिंग प्रेस के अतिरिक्त अन्य प्रिंटिंग

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति

प्रेस से मुद्रण/बाइंडिंग कराने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

Sr. No.	Description	Authority competent to exercise the powers	Extent of Delegation
1	3	4	5
10.1	Get printing work done through private press.	(i) VC	Full Powers
		(ii) Registrar	Rs. 50.00 lakh in a year and Rs. 5.00 lakh in each case
		(iii) Head of Academic Department/ Head of Office	Rs. 1.00 lakh in a year
10.4	Get binding work done through local press/book binders.	(i) Registrar	Full powers
		(ii) Head of Academic Department/ Head of Office	up to Rs. 5000 in a year

11.2 क्रय नियम 2014 की कंडिका में संशोधन पर विचार

विश्वविद्यालय के क्रय नियम 2014 की कंडिका 07 में प्रावधान है "प्रदेश की जो उत्पादक इकाई लघु उद्योग निगम और D.G.S. & D. में इस हेतु पंजीकृत है, उन्हें सुरक्षा निधि जमा करने से छूट प्राप्त होगी।"

मध्यप्रदेश शासन में मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 प्रचलित है एवं इस नियम में सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिये निम्न प्रावधान किये गये हैं :–

25 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अन्य सुविधा

25.3 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अन्य सुविधा

25.3.1 प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निविदा प्रस्तुत करने हेतु टेण्डर फार्म निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

25.3.2 प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निविदा में पूतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) के भुगतान से छूट रहेगी।

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
सांची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

कार्यपरिषद् द्वारा विचारोपरांत मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 के अनुरुप विश्वविद्यालय के क्रय नियम, 2014 में निम्नानुसार नवीन कंडिका 07 (अ) जोड़े जाने का निर्णय लिया गया प्रस्तावित है :–

7(अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अन्य सुविधा

(एक) प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निविदा प्रस्तुत करने हेतु टेण्डर फार्म निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

(दो) प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निविदा में प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) के भुगतान से छूट रहेगी।

11.3 प्रवेश नियम, 2016 की कंडिका 5.1 में संशोधन पर विचार

विश्वविद्यालय के प्रवेश नियम 2016 की कंडिका 5.1 में निम्नानुसार प्रावधान है :–

5. Central Admission Committee

5.1 The composition of the "Central Admission Committee" shall be as follows:

1.	Vice-Chancellor	Chairman
2.	Pro- Vice chancellor	Member
3.	Deans of all Schools	Member
4.	One SC/ST member nominated by the Registrar (Not below the rank of any officer/ Assistant Professor).	Member
5.	Deputy Registrar / Officer Incharge (Academics)	Member Secretary

उक्तानुसार 5.1 (5) में विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव / प्रभारी अधिकारी अकादमिक को सेन्ट्रल एडमीशन कमेटी का सदस्य सचिव नामांकित करने का प्रावधान है।

प्रभारी अधिकारी (अकादमिक) को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किये जाने की दशा में उक्त समिति में विश्वविद्यालय की

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

प्रशासनिक शाखा का प्रतिनिधित्व नहीं रहता, जिससे भविष्य में प्रशासनिक विधियों के अपालन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

कार्यपरिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया, उक्तानुसार 5.1 में कुलसचिव का कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं है अतः उक्त समिति में सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव अथवा कुलसचिव द्वारा नामांकित किसी अन्य अधिकारी को सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. Central Admission Committee

5.1 The composition of the "Central Admission Committee" shall be as follows:

1.	Vice-Chancellor	Chairman
2.	Pro- Vice chancellor	Member
3.	Deans of all Schools	Member
4.	One SC/ST member nominated by the Registrar (Not below the rank of any officer/ Assistant Professor).	Member
5.	Assistant Registrar/Dy Registrar/Any other officer Nominated by Registrar	Member
6.	Officer Incharge (Academic/Admission)	Member Secretary

11.4 परीक्षा नियम, 2016 की कंडिका 4.1 में संशोधन पर विचार

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियम 2016 की कंडिका 4.1 में निम्नानुसार प्रावधान है :—

4. University Examination Committee (UEC)

4.1 University Examination Committee (UEC) is a committee which shall be appointed by Vice- Chancellor. This committee consists of Eight members:

i. Dean of School as Chairman.

ii. One HOD/ Professor as Co-Chairman.

iii. 05 (Five) Faculty members from Professor(s)/ Associate Professor(s)/ Assistant Professor(s) as members of Committee.

iv. Controller of Examinations as Member Secretary.

कार्यपरिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया, उक्तानुसार 4.1 में कुलसचिव का कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं है अतः उक्त समिति में सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव अथवा कुलसचिव द्वारा नामांकित किसी अन्य अधिकारी को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

एजेण्डा क्र. 12 : कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृति के संबंध में विचार।

विश्वविद्यालय में नियमित तथा संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी यथा नर्स, वार्ड, बॉय, सुरक्षा सहायक, चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भृत्य, माली, स्वीपर आदि की नियुक्ति की गई है। उक्त कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता सप्ताह में सातों दिवस 24 घंटे होती है। अतः कर्मचारियों की पाली निर्धारित कर कार्य कराया जाता है। कार्यालय अवकाश अथवा त्यौहार अवकाश के दिन उक्त कर्मचारियों को एक साथ अवकाश नहीं दिया जाता। उक्त कर्मचारियों को सप्ताह में किसी एक दिवस साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है।

विश्वविद्यालय के नियम एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार समस्त नियमित/संविदा कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिवस अवकाश की पात्रता है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा निगोशिएबल इन्स्टूमेंट्स एक्ट, 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अनुसार प्रत्येक वर्ष में अवकाश दिवस घोषित किये जाते हैं। इस दिवस शासकीय कार्यालयों में कोई कार्य नहीं होता। विश्वविद्यालय के अन्य नियमित कर्मचारियों के समान उक्त संविदा कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में लागू निगोशिएबल इन्स्टूमेंट्स एक्ट, 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 अंतर्गत राज्य शासन द्वारा घोषित अवकाश दिवसों में अवकाश दिया जाना संभव नहीं है।

कार्यपरिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि–

1. विश्वविद्यालय में नियोजित कर्मचारियों/चर्तुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारियों जिन्हें पाली के आधार पर कार्यघंटे निर्धारित किये गये हैं, किसी कैलेण्डर वर्ष में मध्यप्रदेश शासन द्वारा निगोशिएबल इन्स्टूमेंट्स एक्ट, 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अंतर्गत घोषित अवकाशों की संख्या के बराबर संख्या में अवकाश स्वीकृति का निर्णय लिया गया।
2. उक्त अवकाश कर्मचारियों को नियम/अनुबंध अनुसार देय 13 अवकाशों के अतिरिक्त होंगे तथा केवल उसी दशा में स्वीकृत

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
सांची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

किये जावेंगे जब जिससे विश्वविद्यालय के कार्य अथवा सेवाएं प्रभावित न हों।

3. पाली के आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों/चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारियों हेतु उक्त अवकाश विश्वविद्यालय की अनुकंपा है, अतः इसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। कोई भी नियमित/संविदा कर्मचारी किसी कार्य दिवस पर अवकाश का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उसे त्यौहार के दिवस अथवा उसके चाहे गए दिवस पर अवकाश स्वीकृत किया जावे।

एजेण्डा क्र. 13 : विश्वविद्यालय की ब्रांडिंग गतिविधियों के संचालन हेतु व्यक्तिगत सलाहकार की नियुक्ति के संबंध में विचार।

सांची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की ब्रॉन्डिंग एवं प्रमोशन हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से उपयुक्त व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं कार्य स्वरुप के आधार पर अनुंबधित करने के संबंध में कार्य–परिषद की 19 अगस्त 2015 की बैठक में अनुमति प्राप्त की गई थी।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रक्रिया अंर्तगत विज्ञापन के प्रतिउत्तर में निम्न दों व्यक्तिगत सलाहकारों द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति की थी । सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेंजो के आधार पर पूर्व निर्धाश्रत प्रक्रिया अनुसार सलाहकारों को निम्नानुसार अंक प्राप्त हुए हैं–

क्रमांक	विवरण	श्री राजीव सिंह	श्री निपुण जोशी
1.	**तकनीकी योग्यता अंक**	405/800	400/800
2.	**प्रस्तुति अंक**	160/200	100/200
तकनीकी अंको का कुल योग		**565/1,000**	**500/1,000**

उपरोक्त अंकों के आधार पर दोनों निविदाकार वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने हेतु योग्य पाये गये हैं। अगली प्रक्रिया (चरण क्र.–8) के रूप में वित्तीय प्रस्ताव खोला जाकर QCBS (गुणवत्ता एवं लागत प्रणाली) के आधार पर सलाहकार की चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जायेगा।

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
सांची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

कार्यपरिषद् द्वारा ब्रांडिंग कार्य हेतु व्यक्तिगत सलाहकार के चयन हेतु क्रियान्वित प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया। तथा निर्देशित किया गया कि वित्तीय निविदा के आधार पर अधिकतम स्कोर प्राप्त करने वाले सलाहकार की निरंतर सेवायें प्राप्त करने हेतु सलाहकार से अनुबंध संपादित किया जावे। अधिकतम अंक प्राप्त सलाहकार के अतिरिक्त अन्य सलाहकार को विश्वविद्यालय में इम्पैनल कर उसकी सेवायें विश्वविद्यालय के मार्केटिग संबंधी कार्यो हेतु समय समय पर ली जावे।

कार्यपरिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय का ब्रांडिंग का कार्य तत्काल प्रारंभ करना आवश्यक है उक्त समस्त कार्यवाही उपरांत स्वीकृति/अनुबंध संपादन संबंधी निर्णय लेने हेतु कुलपति को अधिकृत किया जावे तथा एवं प्रकरण कार्यपरिषद् की अगली बैठक में कार्योतत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा क्र. 14 : विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार।

विश्वविद्यालय में संचलित विभिन्न पाठ्यक्रमों में नीचे दी गई तालिका (1) के कॉलम (3) में अंकित सीटें स्वीकृत हैं। अकादमिक वर्ष 2017–18 हेतु प्रवेश विज्ञापन जारी करते समय कुलपति महोदय के अनुमोदन से कॉलम (4) में अंकित संख्या अनुसार सीटें आधार मानकर विज्ञापित की गई हैं।

S.No.	Course	No. of Sanctioned Seat	No. of Proposed Seat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	M.A. - Buddhist Studies	20	25
2	M.A. - Indian Philosophy	20	25
3	M.A. - Vedic Studies	20	25
4	M.A. - Sanskrit	20	25
5	M.A. - Hindi	20	25
6	M.A. - English	20	25
7	M.A. - Chinese Language (New course)	–	25
8	M.A./M.Sc. Yoga and Holistic Health	20	25
9	Master of Fine Art - Indian Painting (New course)	–	25
10	Diploma - Chinese Language (New course)	–	25

Registrar
Sanchi University of Buddhist Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

11	Certificate Course - Chinese Language	20	30
12	Certificate Course - Written and Spoken Sanskrit (New course)	–	30

M.Phil. तथा Ph.D. में सीटों की संख्या का निर्धारण UGC Guidelines के आधार पर तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेश के प्रावधान अनुसार सीटों का निर्धारण किया गया है।

कार्यपरिषद् द्वारा वर्ष 2017–18 में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या में पुनरीक्षण कर/वृद्धि के निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा क्र. 15 : विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकों द्वारा किये गये परिवीक्षा कालीन शोध के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञों के नामांकन पर विचार।

कार्य परिषद् की तृतीय बैठक दिनांक 19 अगस्त 2015 में निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय में नियुक्त सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक को परिवीक्षा अवधि में शोध परियोजना आवंटित की जावे।

उक्त शोध परियोजना का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जावे। अतः विश्वविद्यालय में नियुक्त सह प्राध्यापक द्वारा परिवीक्षा अवधि में किये गये शोध कार्य का मूल्यांकन हेतु विषयवार विशेषज्ञों की सूची सील बंद लिफाफे में कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गयी ।

कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में वर्तमान कार्यरत सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापको के अकादमिक प्रदर्शन समीक्षा पश्चात हुए आगामी आदेश तक वर्तमान कार्यरत सह–प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापकगण स्थायीकरण तथा वेतनवृद्धि स्वीकृत न करने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यपरिषद् द्वारा परिवीक्षाकालीन शोध का मूल्यांकन हेतु विषयवार विशेषज्ञों की सूची का अनुमोदन किया गया । अनुमोदित सूची अनुलग्नक –एक में संलग्न है।

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कार्यपरिषद् द्वारा परिवीक्षाकालीन शोध के मूल्यांकन हेतु प्रत्येक विशेषज्ञ को रू 5000.00 प्रति शोध रिर्पोट की दर से मानदेय स्वीकृत/भुगतान का निर्णय लिया गया।

कुलपति
सांची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

एजेण्डा क्र. 16 : विश्वविद्यालय में तैयार किये गये प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम – संस्कृत के पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में अध्यापन की स्वीकृति के संबंध में विचार।

कार्यपरिषद की छठवीं बैठक में हुए निर्णय अनुसार Certificate / Diploma course in Written & Spoken Sanskrit का पाठ्यक्रम विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है।

1. कार्यपरिषद् द्वारा Diploma course in Written & Spoken Sanskrit के पाठ्यक्रम को सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स के साथ–साथ सभी स्नातकोत्तर/एमफिल तथा पीएचडी कोर्स वर्क में वर्तमान पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से लागू कर अध्यापन कराने का निर्णय लिया गया

2. विश्वविद्यालय के शिक्षकों में मूल ग्रंथों के अध्ययन, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा में अध्ययन की सीमित क्षमता है। अतः इस तथ्य पर ध्यान दिया जाकर उक्त क्षमता विकसित करने हेतु विशेष प्रयास करने हेत निर्देशित किया गया।

3. कार्यपरिषद् द्वारा निर्देशित किया गया, कि विश्वविद्यालय द्वारा क्रियान्वित Certificate/Diploma course in Written & Spoken Sanskrit प्रत्येक शिक्षक हेतु अनिवार्य किया जावे।

4. विश्वविद्यालय में अंग्रेजी Certificate/Diploma पाठ्यक्रम तैयार कर वर्तमान सत्र से लागू किया जावे। प्रत्येक शिक्षक हेतु अंग्रेजी Certificate/Diploma पाठ्यक्रम अनिवार्य किया जावे।

5. कार्यपरिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय में भाषा संबंधी पाठ्यक्रमों में अध्यापन अनिवार्यतः मूल भाषा में कराया जावे।

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
सांची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

एजेण्डा क्र. 17 : विश्वविद्यालय के सेन्टर फॉर इंटीग्रेटेड हीलिंग द्वारा प्रस्तुत परियोजना Mapping of Traditional Healing Practices (With special reference to Tribal Healing in Madhya Pradesh) की स्वीकृति के संबंध में विचार।

विश्वविद्यालय में स्थापित सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड हीलिंग के अन्तर्गत पारंपरिक तथा जनजातिय चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन तथा दस्तावेजीकरण हेतु एक कार्य परियोजना तैयार की गई है, जिसका निर्देश कार्यपरिषद की 7वीं बैठक दिनांक 03 फरवरी, 2017 को दिया गया था।

जैव विविधता तथा पारंपरिक-जनजातिय चिकित्सा के दृष्टिकोण से मध्यप्रदेश एक समृद्ध राज्य है। मध्यप्रदेश के 10 संभागों के 51 जिलों के लगभग 28 जनजातियों में प्रचलित जनजातिय तथा अन्य पारंपरिक प्रभावी चिकित्सा विद्याओं, उनमें प्रयुक्त संसाधनों, इन्टरवेंशन्स तथा उनके प्रभावों की मैपिंग करना, विभिन्न पीढ़ियों के मध्य मौखिक रूप से इस ज्ञान के स्थानान्तरण की कड़ी को टटोलना तथा इसके क्षरण के संभावित कारणों को पता लगाने का भी कार्य यह परियोजना करेगी।

इस परियोजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में मध्यप्रदेश क सभी पारंपरिक तथा जनजातिय चिकित्सकों को चिन्हित कर उन्हें Herblist, Diviners, Prophet (Faith Healers) इत्यादि श्रेणी में फील्ड सर्वे के माध्यम से विभक्त कर शोध की "ब्लैक बाम्स मॉडल" शोध प्रविधि के आधार पर इनके प्रभावों का अध्ययन कर इनका दस्तावेजीकरण किया जावेगा। इस परियोजना से मध्यप्रदेश के समृद्ध पारंपरिक तथा जनजातिय चिकित्सा विरासत को शोध प्रविधि के माध्यम से देश एवं विश्व पटल पर उकेरा जा सकेगा।

कार्यपरिषद् द्वारा Mapping of Traditional Healing Practices (With special reference to Tribal Healing in Madhya Pradesh) परियोजना स्वीकृति प्रदान की गयी।

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

कार्यपरिषद् द्वारा परियोजना गतिविधियों हेतु कुल राशि रू 112.72 लाख स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

निर्देशित किया गया, कि जनजातीय चिकित्सा पद्वति से संबंधित राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा किया जावे। कार्यशाला में समन्वित/जनजातीय चिकित्सा पद्वति में मूल कार्य करने वाले व्यक्तियों को आमंत्रित किया जावे।

एजेण्डा क्र. 18 : कार्यपरिषद् द्वारा पूर्व स्वीकृत परियोजना की प्रगति पर विचार।

कार्यपरिषद् द्वारा निम्नलिखित परियोजना स्वीकृत की गई थी।

क्र.	परियोजना	विभाग	स्वीकृति दिनांक	अवधि
1	वैकल्पिक विद्यालय : तैयारी भविष्य की शिक्षा की	वैकल्पिक शिक्षा	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 06 मार्च 2016	36 माह

उक्त स्वीकृत परियोजना की गतिविधियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी।

- कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि परियोजनांतर्गत फैसिलिटेटर एवं कन्सल्टेंट की नियुक्ति की गई है।

- कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि परियोजनांतर्गत विश्वविद्यालय में लर्निग स्पेस अर्थात वैकल्पिक शिक्षा विद्यालय की स्थापना की अनुमति कार्यपरिषद् द्वारा दी गयी है परंतु प्रशासनिक अनुमति के अभाव में वैकल्पिक शिक्षा विद्यालय प्रारंभ नहीं किया गया है।

  कार्यपरिषद द्वारा वैकल्पिक शिक्षा विद्यालय न खोलने का निर्णय लिया गया।

- कुलसचिव के अभिमत अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के लर्निंग स्पेस अर्थात वैकल्पिक शिक्षा विद्यालय प्रारंभ न किये

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

जाने की दशा में सीखने की प्रक्रिया की समझ, एवं उपयुक्त वातावरण के अभाव में वैकल्पिक शिक्षा हेतु विकसित एलगोरिद्म का परीक्षण किया जाना संभव नहीं है। अतः वैकल्पिक शिक्षा विद्यालय के अभाव में परियोजना को निरंतर किया जाना उचित नहीं है।

कार्यपरिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि वैकल्पिक विद्यालय : तैयारी भविष्य की शिक्षा की परियोजना की समीक्षा हेतु कुलपति की अध्यक्षता में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों को सम्मिलित कर समिति का गठन किया जावे।

समिति की अनुशंसार अनुसार परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन पर विचार किया जावे।

कार्यपरिषद द्वारा वैकल्पिक विद्यालय परियोजना अंर्तगत कंसल्टेंट तथा फैसिलिटेटर द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र स्वीकृति की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा क्र. 19 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

1. निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय के रिसर्च जर्नल, न्यूज लैटर का प्रकाशन एक माह में प्रारंभ किया जावे। साप्ताहिक सेमीनार का नियमित आयोजन रोटेशन के आधार पर सुनिश्चित किया जावे। उक्त कार्यो की प्रगति कार्यपरिषद् की प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
2. निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय में शोध संबंधी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।
3. निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष न्यूनतम चार शोध पत्र यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त Index Journal/अंतराष्ट्रीय Refereed Journal में प्रकाशन अनिवार्य किये जावे। उक्त के अभाव में संबंधित शिक्षक की वार्षिक वेतन वृद्वि स्वीकृत न की जावे।

कुलपति
सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

5. निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग/स्कूल द्वारा कम से कम एक शोध परियोजना का क्रियावन्यन किया जाना चाहिए। निर्देशित किया गया कि कार्यपरिषद् की आगामी बैठक से पूर्व शोध परियोजना तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जावे।

6. विश्वविद्यालय के स्वयं के पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध न होने के कारण पेंशन योजना का लाभ देना संभव नहीं हो पा रहा है।

कार्यपरिषद् द्वारा अधिकारियेां–कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ दिये जाने के लिए विश्वविद्यालय के स्वयं के नवीन स्रोत विकसित करने की आवश्यकता रेंखांकित की गयी ।

7. विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक, को पीएचडी तथा एमफिल योग्यता धारण करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शी निदेश तथा मप्र शासन उचच शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदधारियों हेतु अग्रिम वेतन वृद्वि स्वीकृत करने करने संबंधी निदेश को विश्वविद्यालय में लागू करने पर विचार किया गया।

कार्यपरिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के कोष में पर्याप्त राशि उपलब्ध होने की दशा में आगामी वित्तीय वर्षो में स्थायी शिक्षको को नियमानुसार अग्रिम वेतन वृद्वि स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

8. विशविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देशानुसार शिक्षकों हेतु शनिवार के अतिरिक्त अन्य साप्ताहिक कार्यदिवसों में न्यूनतम 7 घंटे तथा शनिवार को न्यूनतम 5 घंटे शैक्षणिक कार्य/उपस्थिति सुनिश्चत की जावे।

9. विश्वविद्यालय के भवन परिसर विकास हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य कराया जाना है अतः आगामी 25 वर्षो की आवश्यकता परिकलित कर सलाहकार को उपलब्ध करायी जावे ताकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जा सके।

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
Bhopal (M.P.)

कुलपति
सांची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

10. विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न समितियों की बैठकों, सम्मेलनों में विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है, उनके द्वारा हवाई यात्रा इॅकानॉमी श्रेणी के स्थान पर बिजनेस/प्रथम श्रेणी में हवाई यात्रा के देयक प्रस्तुत किये गये हैं। विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार इकॉनॉमी श्रेणी की यात्रा किराया प्रतिपूर्ति का प्रावधान है ।

ऐसे प्रकरणों मे वह हवाई यात्रा टिकट जो मूलतः बिजनेस श्रेणी का हो, उक्त टिकट के इकानॉमी श्रेणी के किराये का प्रतिपादन विश्वविद्यालय स्तर पर करना संभव नहीं है। अतः संबंधित का भुगतान लंबित है।

कार्यपरिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों का विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षण उपरांत हवाई यात्रा के बिजनेस क्लास के किराये का 50 प्रतिशत को इकॉनॉमी क्लास का किराया मानकर प्रकरण में अंतरिम भुगतान किया जावे।

11. डॉ बैद्यनाथ लाभ, प्रोफेसर जम्मू विश्वविद्यालय (जो सॉबौभाज्ञाअविवि में प्रतिनियुक्ति जून 2017 तक सेवारत थे) की वेतनवृद्धि स्वीकृति के संबंध में चर्चा की गयी। अवगत कराया गया, कि विश्वविद्यालय स्तर पर वेतनवृद्धि अंतरिम रूप से स्वीकृत की जा चुकी है। निर्देशित किया गया, कि वेतनवृद्धि स्वीकृति प्रकरण का वित्त विभाग से अंकेक्षण कराकर अंतिम निराकरण की कार्यवाही की जावे।

कार्यपरिषद् के अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापन सहित बैठक समाप्त हुई।

(राजेश गुप्ता)
सदस्य–सचिव/कुलसचिव
कार्यपरिषद्
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

कुलपति
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

(प्रो. (डॉ.) मनोहर एस. शास्त्री)
अध्यक्ष/कुलपति
कार्य परिषद्
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय